आर.ई.ओ. 21

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.)

क्र.जेपीडी/उमुअ(आर.ई.)/अधी.अभि.(आर.ई.)/प.1201/प्रे0 609 दिनांक 27/8/10

आदेश

विषयः–भविष्य में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण एवं कृषि कनेक्शन हेतु जारी निर्देश क्रमांक 12(10)ऊर्जा/2006 दिनांक 26.8.2010 की अनुपालना में कृषि कनेक्शन दिये जाने हेतु निम्न प्रावधान आदेशित किये जाते है :–

1. कृषि कनेक्शन हेतु थ्री स्टार अथवा इससे ऊपर की रेटिंग वाले ब्यूरों ऑफ एनर्जी एफीशियेन्सी द्वारा प्रमाणित पम्पसेट व फव्वारा/ड्रिप सिस्टम स्थापित करना ऐच्छिक होगा।
2. जो कृषक एनर्जी एफिशियेन्स पम्प का विकल्प चयन करते हुए ब्यूरों ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम थ्री स्टार रेटेड पम्प सैट स्थापित करेगें उन्हे रुपये 500/– प्रति हॉर्सपावर की दर से राशि सम्बन्धित विद्युत निगमों द्वारा अनुदानित की जावेगी। यह अनुदान राशि कृषकों को उन्हें जारी मासिक विद्युत बिलों में 12 समान किश्तों में समायोजिल की जावेगी। यह समायोजन ब्यूरों ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी द्वारा प्रमाणित पम्प सैट लगाये जाने का बिल सहित विवरण प्रस्तुत करने एवं संबंधित कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता द्वारा स्थापना प्रमाणित किये जाने पर ही देय होगी।
3. वित्तीय वर्ष 2010–11 मे कृषकों द्वारा अपनी कृषि भूमि पर फव्वारा/ड्रिप सिस्टम स्थापित करने पर इसके पांच हैक्टेयर की भूमि पर हुए खर्चे का 70 प्रतिशत भाग कृषि विभाग द्वारा एम.आई.एस./आर.के.वी.वाई. फण्ड से उपलब्ध कराया जावेगा। इसके लिए कृषकों को कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में औपचारिकताऐं संबंधित कृषि कार्यालय में पूरी करनी होगी।
4. उपरोक्त बिन्दु 2 व 3 में इंगित अनुदान का प्रावधान उन कृषकों पर भी लागू होगा जिनके कृषि कनेक्शन 01.04.2010 के बाद जारी हुए है एवं जिन्होने कम से कम थ्री स्टार रेटेड पम्प सेट व फव्वारा/बूंद–बूंद सिंचाई पद्धति स्थापित की है।

यह आदेश पूर्व में जारी आदेशों आर.ई.ओ. 214 एवं आर.ई.ओ. 216 के अधिक्रमण में जारी किये जाते है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से तीनों विद्युत वितरण निगमों में लागू होंगे।

27/8/2010
(ए.के. शर्मा)
उप मुख्य अभियन्ता(आर.ई.)